

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।

क्रमांक:-निदे/नियु/5/प-नियुक्ति/क.स.-2013/5026

दिनांक 4-4-2018

::- कार्यालय आदेश -::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक: प.1(6)प्र.सु./अनु.-3/2017 दिनांक: 08.02.2018 के द्वारा विभाग में नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह (पे मेट्रिक्स लेवल संख्या 5 पर) अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	श्रेणी	जन्म दिनांक	पदस्थापन कार्यालय
1.	4813	168910	श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामचंद्र मीणा	ST	02-12-1992	ख.अ.बून्दी-प्रथम
2.	4816	688461	श्रीमती तृप्ति गुप्ता पुत्री श्री अनिल कुमार	GE,WE	04-07-1989	अ.भूवै., कोटा
3.	4824	258759	श्री सुनील कुमार चौहान पुत्र श्री तेजपाल चौहान	SC	10-06-1993	ख.अ., नागौर
4.	4830	401413	सुश्री परमेश्वरी पुत्री श्री बाबूलाल	BC,WE	01-12-1992	ख.अ., जैसलमेर
5.	4838	113387	सुश्री रजनी यादव पुत्री श्री छाजूराम यादव	BC,WE	15-03-1993	स.ख.अ.कोटपूतली
6.	4849	574952	श्रीमती शकुन्तला पत्नि. श्री पवनकुमार झांझड़िया	BC,WE	05-04-1990	अ.ख.अ.जोधपुर
7.	4851	815811	सुश्री सरोज साकुनिया पुत्री श्री भागीरथमल	BC,WE	01-07-1994	निदेशालय, उदयपुर
8.	4853	195148	सुश्री विनिता पारीक पुत्री श्री सुरेश कुमार पारीक	GE,WE	23-07-1987	अ.भूवै., अजमेर


नोट:-उपरोक्त नवनियुक्त कार्मिकों को दिनांक: 12.04.2018 तक अपने-अपने पदस्थापन कार्यालयों में अपनी उपस्थिति देनी अनिवार्य है, निर्धारित अवधि तक उपस्थिति नही देने पर नियुक्ति आदेश निरस्त की जावेगी।

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:-

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक: 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक: 07.07.2017 को घोषित किये जाने के फलस्वरूप नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक: 21.11.2017 को जारी की गयी, उक्त नियुक्तियां डी.बी. रिट अपील संख्या- 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक: 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णयों के अधधीन रहेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (फिक्स-पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।



3. उक्त नियुक्तियां समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक: 09.09.2015, पत्रांक: 63606-726 दिनांक: 20.10.2015 एवं प.11(204)आरएण्डपी /डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक: 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्यक्षीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परीविक्षाकाल (Probationer Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीविक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीविक्षाकाल की समाप्ति पर ली गयी विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर इन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या 5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार होंगे।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-एफ13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक: 28.01.2004 एवं दिनांक: 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
9. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 10/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व-वृत्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
12. परीविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या-एफ12(6)एफडी/रूल्स/05दिनांक: 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक: 13.03.2006, 1(2) एफडी/रूल्स./2006 दिनांक:13.03.2006, 13(1) एफडी /रूल्स/2003 दिनांक: 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान नियम-2008 दिनांक: 30.10.2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा - मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
13. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10/-रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई



दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार इनके सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेंगी।

14. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होंगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डी.एस.मारु)

निदेशक


खान एवं भूविज्ञान विभाग  
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:-निदे/नियु/5/प-नियुक्ति/क.स.-2013/5027 - 5056 दिनांक 4-4-2018

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा/जोधपुर/जयपुर/भूविज्ञान, कोटा।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा/अजमेर/जोधपुर।
5. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, कोटा/अजमेर।
6. खनि अभियन्ता, खण्ड-1, बूंदी/नागौर/जैसलमेर।
7. सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली।
8. नवनियुक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन कार्यालयों के नियंत्रण अधिकारियों को भेजकर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा साथ ही उपरोक्तानुसार अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करा इनके उपस्थिति देने की सूचना तत्काल भिजवावें।
9. अतिरिक्त निजी सचिव (निदेशक)/निजीसहायक(अ.नि.प्र.)/स्ट्रेन्थ लिपिक/बजट अनुभाग/बिललिपिक/एसीआर सैल, के.का., उदयपुर।
10. श्री राकेश मीणा पुत्र श्री रामचंद्र मीणा, सी-222, सिदार्थ नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जिला-जयपुर (राज.) 302017 (रजिस्टर्ड ए0डी0)
11. श्रीमती तृप्ति गुप्ता पुत्री श्री अनिल कुमार, 1315, बरकत नगर, टोंक रोड़, जिला-जयपुर (राज.) 302015(रजिस्टर्ड ए0डी0)
12. श्री सुनील कुमार चौहान पुत्र श्री तेजपाल चौहान, मंनं.-78, गली नं.-01, इंद्रा कॉलोनी, अजीतगढ़, तहसील-श्रीमाधोपुर, जिला-सीकर (राज.) 332701(रजिस्टर्ड ए0डी0)
13. सुश्री परमेश्वरी पुत्री श्री बाबूलाल, गांव-तेजे की ढाणी, पोस्ट-भलीसर, धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर (राज.) 344704(रजिस्टर्ड ए0डी0)
14. सुश्री रजनी यादव पुत्री श्री छाजूराम यादव, ग्राम-कुनेड़, पोस्ट-भोनावास, वांया-पावटा, तहसील-कोटपुतली, जिला-जयपुर (रजिस्टर्ड ए0डी0)
15. श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री पवन कुमार झांझड़िया, गांव-जनाणा, पोस्ट-साहूवाला, तहसील-भादरा, जिला-हनुमानगढ़ (राज.) 335511(रजिस्टर्ड ए0डी0)

16. सुश्री सरोज साकुनियो पुत्री श्री भागीरथमल, ग्रम-सामोता का बास, पोस्ट-शाहपुरा, वांया-बावड़ी, तहसील-खण्डेला, जिला-सीकर (राज.) 332411(रजिस्टर्ड ए0डी0)
17. सुश्री विनिता पारीक पुत्री श्री सुरेश कुमार पारीक, 3-डी-20, राजकीय मल्टीस्टोरी फ्लेट्स, गांधीनगर, जिला-जयपुर (राज.)(रजिस्टर्ड ए0डी0)
18. रक्षित पत्रावली।

  
4-4-18

(डी.एस.मारु)

निदेशक

खान एंव भूविज्ञान विभाग  
राजस्थान, उदयपुर